

न्यूज टुडे

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने “शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा/ NAKSHA)” नामक एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया

इस पायलट प्रोजेक्ट का 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के रायसेन में उद्घाटन किया जाएगा।

“शहरी बस्तियों का राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भूमि सर्वेक्षण (नक्शा/ NAKSHA)” के बारे में

- ▶ **पृष्ठभूमि:** इसे डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) के भाग के रूप में 2024 में घोषित किया गया था।
- ▶ **उद्देश्य:** भू-स्वामित्व के विश्वसनीय दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड तैयार करना एवं उन्हें अपडेट करना।
- ▶ **कवरेज:** इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगले एक वर्ष में भारत के 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के 152 शहरी स्थानीय निकायों में भूमि रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित किया जाएगा।
 - ⊕ इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा।
- ▶ **तकनीकी भागीदार:** सर्वे ऑफ इंडिया। यह हवाई सर्वेक्षण करेगा और ऑर्थोरेक्टोफाइट इमेजरी प्रदान करेगा।
 - ⊕ मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम (MPSEDC) द्वारा एंड-टू-एंड वेब-GIS प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा।

▶ **समन्वय:** मुख्य सचिव के अधीन एक राज्य स्तरीय समिति (SLC) का गठन किया जाएगा।

भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण का महत्व

- ▶ **नागरिकों को सशक्त बनाना:** इससे वैध भू-स्वामित्व दस्तावेज प्रदान किए जाते हैं।
- ▶ **विवादों को कम करना:** कानूनी दस्तावेजीकरण समाज में विवादों को कम करता है। इससे न्यायपालिका पर बोझ कम होता है।
- ▶ **प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा मिलना:** डिजिटल दस्तावेजीकरण पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करता है। साथ ही, शहरी नियोजन को भी सुविधाजनक बनाता है।
- ▶ **निवेश को बढ़ावा देना:** इससे व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा मिलेगा और शहरों को विकास के केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

DILRMP के बारे में

- ▶ **शुरुआत:** डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (DILRMP) 2016 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसे पहले राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था।
- ▶ **प्रकार:** 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- ▶ **प्रमुख घटक:** भूमि एवं पंजीकरण कम्प्यूटरीकरण, राजस्व न्यायालय डिजिटलीकरण, आधार एकीकरण (स्वैच्छिक), आदि।
- ▶ **अवधि:** DILRMP को 2021-22 से पांच साल यानी 2025-26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- ▶ **प्रमुख पहलें:** विशिष्ट भू-खंड पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number: ULPIN) या भू-आधार, भूमि सम्मान, आदि।
- ▶ **उपलब्धियां:**
 - ⊕ 95% अधिकार अभिलेख (RoR) डिजिटलीकृत किए गए हैं;
 - ⊕ 68% भूकर संबंधी (Cadastral) मानचित्रों का डिजिटलीकरण किया गया है;
 - ⊕ 95% पंजीकरण कम्प्यूटरीकृत किए गए हैं आदि।

दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया

हिमालयी क्षेत्र में प्लेट विवर्तनिकी के कारण आने वाले भूकंपों के विपरीत यह भूकंप एक अंतःप्लेट (Intra-plate) परिघटना थी, जो “इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी” के कारण घटित हुई है।

▶ **भूकंप का एपिसेंटर** दिल्ली में होने तथा भूकंप का धरातल से माल 5 किलोमीटर की गहराई (बॉक्स देखें) पर होने के कारण भूकंप के झटके अधिक तीव्र थे।

⊕ भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को एपिसेंटर या अधिकेंद्र कहते हैं।

इन-सीटू मटेरियल हेटेरोजेनिटी के कारण आने वाले भूकंप

- ▶ **परिभाषा:** यह पृथ्वी की भूपर्पटी के भौतिक गुणों में मौजूद असमानताओं जैसे चट्टान के प्रकार, चट्टान के छिद्रों में तरल पदार्थ की उपस्थिति, आदि के कारण घटित होने वाली भूकंपीय गतिविधि को संदर्भित करता है।
- ▶ **भूकंप का आना:** चट्टानों के भौतिक गुणों में भिन्नता के कारण तनाव का संकेन्द्रण होने लगता है। इससे अंततः भूकंप की संभावना बढ़ जाती है।
- ▶ **भ्रंश रेखा पर प्रभाव:** ‘इन-सीटू हेटेरोजेनिटी’ के चलते भ्रंश वाले क्षेत्रों में तनाव का निर्माण होता है। इससे भी भूकंप की संभावना में बढ़ोतरी हो जाती है।
 - ⊕ दिल्ली भारत के भूकंपीय मानचित्र में ज़ोन-IV में स्थित है, जो देश का दूसरा सबसे संवेदनशील ज़ोन है।

दिल्ली में भूकंप अधिक क्यों आते हैं?

- ▶ दिल्ली भारतीय-यूरेशियन प्लेट टकराव क्षेत्र के निकट स्थित है। इसमें भारतीय प्लेट 5 सेमी प्रति वर्ष की गति से उत्तर की ओर बढ़ रही है, जिससे भ्रंश रेखाओं पर तनाव उत्पन्न हो रहा है।
- ▶ भ्रंश प्रणालियां: दिल्ली-हरिद्वार रिज, भारतीय प्लेट का विस्तार है। अरावली भ्रंश प्रणाली एक गहरी भूगर्भीय संरचना है। इन दोनों के कारण ही अन्तः प्लेट भूकंप आ सकते हैं।
- ▶ सिंधु-गंगा का मैदान: दिल्ली-NCR असंगठित जलोढ़ मृदा क्षेत्र में स्थित है, जो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता को बढ़ाता है।

उथले भूकंप (Shallow Earthquake) या कम गहराई से उत्पन्न होने वाले भूकंप के बारे में

- ▶ **भूकंप पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टानों के खिसकने से उत्पन्न अचानक और तेजी से होने वाला कंपन है।**
 - ⊕ उथले भूकंप पृथ्वी की भूपर्पटी में अपेक्षाकृत कम गहराई (0 से 70 किमी) पर उत्पन्न होते हैं।
 - ⊕ मध्यम गहराई के भूकंप 70 से 300 किमी के बीच और अधिक गहरे भूकंप 300 से 700 किमी के बीच उत्पन्न होते हैं।
- ▶ **प्रभाव:** उथले भूकंप धरातल के ज्यादा निकट होने के कारण अधिक विनाशकारी होते हैं और भारी क्षति पहुंचा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के अभाव में मृत्युदंड को रद्द कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई में कई खामियों को देखते हुए मृत्युदंड को रद्द कर दिया। कोर्ट ने पाया कि आरोपी को उचित कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, जिससे उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिल सका।

सुप्रीम कोर्ट ने अनोखीलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2019) मामले का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया कि कानूनी सहायता केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रभावी और सार्थक होनी चाहिए, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दी गई है।

निष्पक्ष सुनवाई क्या है?

निष्पक्ष सुनवाई एक मौलिक मानवाधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रणाली के अंतर्गत व्यक्तियों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाए।

निष्पक्ष सुनवाई मानवाधिकारों के गैर-कानूनी हनन से सुरक्षा प्रदान करती है तथा सभी व्यक्तियों की मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करती है।

निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत

निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence), उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश वाद:

प्रत्येक अभियुक्त को दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है, तथा अपराध साबित करने का भार अभियोजन पक्ष (Prosecution) पर होता है।

स्वतंत्र न्यायपालिका (श्याम सिंह बनाम राजस्थान राज्य; अनुच्छेद 50):

न्यायाधीशों को कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखा जाना चाहिए, ताकि न्यायिक निष्पक्षता बनी रहे।

त्वरित सुनवाई का अधिकार (हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य; अनुच्छेद 21):

मुकदमे की कार्यवाही में अनावश्यक देरी होना जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

एक ही अपराध के लिए दो बार सजा के खिलाफ संरक्षण {(अनुच्छेद 20(2))}:

किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता या दंडित नहीं किया जा सकता। इससे कानूनी निश्चितता सुनिश्चित होती है और बार-बार अभियोजित होने के खिलाफ संरक्षण मिलता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार

अधिकरण के समक्ष समानता (सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा-पत्र का अनुच्छेद 10): प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष अधिकरण द्वारा निष्पक्ष, लोक सुनवाई का अधिकार है।

अपील का अधिकार (नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद 14): दोषी व्यक्तियों को अपनी सजा के खिलाफ उच्चतर न्यायालय में अपील करने का अधिकार है।

रोम संविधि (2002): यह सुनिश्चित करती है कि मानवता के खिलाफ सबसे गंभीर अपराध के आरोपी भी बुनियादी कानूनी सुरक्षा के हकदार हैं।

राष्ट्रपति ने ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नियुक्त किया

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि) अधिनियम 2023 के तहत यह मुख्य चुनाव आयुक्त की पहली नियुक्ति है (इन्फोग्राफिक देखिए)।

2023 के अधिनियम को 'निर्वाचन आयोग (चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन) अधिनियम, 1991' को निरस्त करके लागू किया गया है।

2023 के अधिनियम के तहत भारत निर्वाचन आयोग को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के बारे में

यह एक संवैधानिक संस्था है। भारत के संविधान के भाग XV के तहत अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

ECI की स्थापना के उपलक्ष्य में 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

1993 से ECI में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं।

ECI को निम्नलिखित के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है:

लोक सभा एवं राज्य सभा;

राज्य विधान सभाएं;

राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद।

2023 के अधिनियम के तहत ECI को निम्नलिखित रूप में अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान वेतन और लाभ प्रदान किए गए हैं।

अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिविल या आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए खोज एवं चयन समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के लिए निश्चित कार्यकाल तय किए गए हैं।

ECI द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

स्वायत्तता पर सवाल:

चयन प्रक्रिया: खोज एवं चयन समिति में सरकारी प्रतिनिधियों का बहुमत है, जिससे चुनाव आयुक्तों की स्वायत्तता को लेकर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं।

चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया: मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। इसके विपरीत, किसी चुनाव आयुक्त को केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

सीमित शक्तियां: राजनीतिक दलों द्वारा नियमों के गंभीर उल्लंघन के मामलों में भी ECI उनका पंजीकरण रद्द नहीं कर सकता।

स्वतंत्र कर्मचारियों का अभाव: ECI को अपने स्वयं का स्वतंत्र कार्यबल रखने की बजाय सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे इसकी स्वायत्तता प्रभावित होती है।

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त-(सेवा शर्तें, कार्यकाल और पदावधि) अधिनियम 2023 के मुख्य प्रावधान



पात्रता

सचिव स्तर का अधिकारी

वह भारत सरकार में सचिव स्तर का पद धारण करता हो

अनुभव और सत्यनिष्ठा

चुनाव के प्रबंधन और संचालन का अनिवार्य अनुभव होना चाहिए।



खोज (सच) समिति

अध्यक्ष

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री

संरचना

दो सदस्य (सचिव या उससे ऊपर टैंक का अधिकारी)

पांच पात्र उम्मीदवारों की सूची तैयार करती है।



चयन समिति

समिति के सदस्य

प्रधान मंत्री (अध्यक्ष);

लोक सभा में प्रतिपक्ष का नेता; तथा

प्रधान मंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

राष्ट्रपति को चुने गए उम्मीदवार की सिफारिश करती है।



व्याग-पत्र और पद से हटाना

व्याग-पत्र की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना व्याग-पत्र दे सकता है।

पद से हटाने की प्रक्रिया

मुख्य चुनाव आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली समान प्रक्रिया से।

चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर।



सेवा शर्तें

कार्यकाल

6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होने पर (जो भी पहले हो);

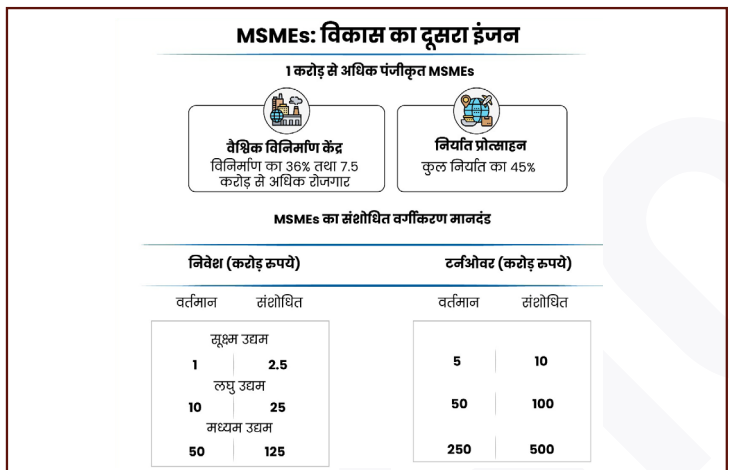
सेवा एवं शर्तें

यदि चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है तब दोनों कार्यकाल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं।

केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री ने 'MSMEs के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS)' लॉन्च की

- MCGS-MSME एक ऐसी योजना है, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को पाल ऋण संस्थानों से 100 करोड़ रुपये तक के सावधि ऋण प्रदान किए जाएंगे।
- MCGS-MSME की अन्य मुख्य विशेषताएं
- **ट्रस्ट/फंड:** इस योजना के प्रबंधन के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी फंड-MSME (MCGF-MSME) बनाया गया है।
 - ⊕ इसका गठन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) ने किया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड (NCGTC) इस योजना का प्रबंधन करेगी। यह DFS की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है।
- **गारंटी कवरेज:** MCGS-MSME के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए सदस्य ऋण संस्थानों (MLIs) को NCGTC द्वारा 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
 - ⊕ **सदस्य ऋण संस्थान (MLI):** ये योजना के तहत NCGTC के साथ पंजीकृत वाणिज्यिक बैंक, NBFC जैसे वित्तीय संस्थान होंगे।
- **पाल उधारकर्ता:**
 - ⊕ वैध उद्यम पंजीकरण वाले MSMEs;
 - ⊕ किसी भी ऋणदाता के साथ गैर-निष्पादित परिसंपत्ति नहीं होनी चाहिए;
 - ⊕ उपकरण/ मशीनरी के लिए परियोजना लागत का न्यूनतम 75% होना चाहिए।
- **योजना की अवधि:** 4 वर्षों के लिए या 7 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) उपलब्ध है।



केंद्र सरकार ने एकीकृत 'प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA)' योजना को 2025-26 तक बढ़ाने को मंजूरी दी

- एकीकृत PM-AASHA योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य फसल खरीद संचालन को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना है।
- पीएम-आशा योजना के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- **क्रियान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
- **उद्देश्य:**
 - ⊕ किसानों को उनकी फसल उपज के लिए मूल्य आश्वासन प्रदान करना, और
 - ⊕ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में उतार-चढ़ाव को कम करना।
- **फसल कवरेज:** दलहन, तिलहन और खोपरा।
- योजना की कमियां**
- इस योजना का प्रभाव सीमित रहा है। इसकी निम्नलिखित दो वजहें हैं:
 - ⊕ इस योजना में बहुत कम फसलों को शामिल किया गया है, और
 - ⊕ भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स की कमी के कारण इस योजना का बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

पीएम-आशा योजना के प्रमुख घटक	
मूल्य समर्थन योजना (Price Support Scheme: PSS)	• कवर की गई फसलें: दलहन, तिलहन और खोपरा (नारियल गिरी) (उचित औसत गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाली फसलें)। • खरीद एजेंसियां: ◦ भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), तथा ◦ भारतीय खाद्य निगम (FCI) • लाभार्थी: पहले से पंजीकृत किसान राज्य एजेंसियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर फसलों की सीधी बिक्री कर सकते हैं। • 2024-25 के लिए प्रमुख अपडेट: केंद्र सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत अरहर (तूर), उड़द और मसूर की खरीद को राज्य के उत्पादन के 100% तक बढ़ाने की अनुमति दी है।
मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (Price Deficiency Payment Scheme: PDPS)	• इसमें वे सभी तिलहन शामिल हैं, जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की जाती है। • किसानों को प्रत्यक्ष भुगतान: केंद्र सरकार MSP और बिक्री/ मॉडल मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान सीधे किसानों को करती है। यह भुगतान MSP मूल्य के 15% तक किया जाता है। • राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सुविधाजनक विकल्प: वे हर वर्ष/ सीजन में तिलहनों के लिए मूल्य समर्थन योजना (PSS) या मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (PDPS) में से किसी एक को चुन सकते हैं।
बाजार हस्तक्षेप योजना (Market Intervention Scheme: MIS)	• यह योजना शीघ्र नष्ट होने वाली उन फसलों की खरीद के लिए है जिनके लिए MSP घोषित नहीं की जाती है; जैसे कि टमाटर, प्याज और आलू। • जब फसल का बाजार मूल्य पिछले सीजन से कम-से-कम 10% गिर जाता है, तो राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोध पर इस योजना को लागू किया जाता है।

अन्य सुर्खियां

सिडिज़न डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क

- केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सिटीजन डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क की प्रासंगिकता और भारत की सांख्यिकीय प्रणाली के साथ इसके एकीकरण पर विचार कर रहा है।
- सिडिज़न डेटा पर कोपेनहेगन फ्रेमवर्क के बारे में**
- **आवश्यकता:** सिटीजन डेटा में नागरिकों द्वारा उत्पन्न डेटा, समुदाय-संचालित डेटा और सिटीजन साइंस डेटा शामिल हैं। ये आमतौर पर राष्ट्रीय डेटा इकोसिस्टम का हिस्सा होने के बावजूद आधिकारिक सांख्यिकी में शामिल नहीं हो पाते हैं।
 - **उत्पत्ति:** इसे 2023 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (UNSD) द्वारा तैयार किया गया था।
 - **फ्रेमवर्क के मुख्य प्रावधान:**
 - ⊕ इसमें सिटीजन डेटा के संभावित प्रकारों को परिभाषित किया गया है। साथ ही, यह सिटीजन डेटा के लिए एक ठोस आधार के रूप में प्रासंगिक अवधारणाओं और उनकी परिभाषाओं की एक सामान्य समझ प्रदान करता है।
 - ⊕ यह एक ऐसा क्षेत्र प्रदान करता है, जो नागरिकों द्वारा डेटा में भूमिका निभाने के अलग-अलग तरीकों पर अवधारणा बनाने और सहमत होने में मदद करता है।

NDS-OM

- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि **प्राथमिक सदस्य** (जैसे कि बैंक जिसकी सरकारी प्रतिभूति बाजारों तक सीधी पहुंच है) और उसके **गिल्ट खाताधारक (GAH)** के बीच लेन-देन का मिलान अब NDS-OM प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है।
- **गिल्ट खाताधारक (GAH):** यह एक प्रकार क्लाइंट (जैसे म्यूचुअल फंड) है, जो RBI के पास सीधे कारोबार करने की बजाय प्राथमिक सदस्य के जरिए सरकारी प्रतिभूतियां धारण करता है।
- NDS-OM के बारे में**
- NDS-OM से आशय है- **नेगोशियेटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग**।
 - प्रकार: यह सेकेंडरी मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद-बिक्री के लिए स्क्रीन आधारित इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है।
 - ⊕ "इलेक्ट्रॉनिक एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग सिस्टम" एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां शामिल कारोबारियों की पहचान उजागर किए बिना खरीद और बिक्री के ऑर्डर का मिलान किया जाता है।
 - **स्वामित्व:** RBI के पास है।
 - **सदस्य:** बैंक, प्राथमिक डीलर, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि।
 - **खरीद-बिक्री योग्य लिखत (इंस्ट्रुमेंट्स):** केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों, राज्य सरकार द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिल का NDS-OM पर कारोबार किया जा सकता है।



व्हाइट-विंग्ड डक

व्हाइट-विंग्ड डक का एक दुर्लभ जोड़ा दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान (असम) में देखा गया।

व्हाइट-विंग्ड डक (असरकोर्निस स्कुटुलाटा) के बारे में

- ▶ प्रकृति: यह प्रजाति तराई के सदाबहार वनों और आर्द्रभूमियों में पाई जाती है।
- ▶ अवस्थिति: यह प्रजाति इंडो-मलायन जैव-भौगोलिक क्षेत्र के लिए स्थानिक है।
- ▶ फेनोटाइप: यह प्रजाति पंखों पर अपने विशिष्ट सफेद धब्बों और विशिष्ट भूतिया आवाजों के लिए प्रसिद्ध है।
- ▶ अन्य: यह असम का राजकीय पक्षी है। असमिया में इसे 'देव हान' (स्प्रिट डक) कहा जाता है।
- ▶ संरक्षण:
 - ⊕ वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत अनुसूची-I में सूचीबद्ध है;
 - ⊕ इसे असम सरकार और भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट द्वारा तैयार व्हाइट-विंग्ड डक कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान 2022 में शामिल किया गया है;
 - ⊕ IUCN लाल सूची: क्लिकली इंडेजर्ड।



समुद्रयान परियोजना

चौथी पीढ़ी की डीप-ओशन मानव-युक्त वैज्ञानिक सबमर्सिबल 'मत्स्य-6000' का वेद परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ।

समुद्रयान परियोजना के बारे में

- ▶ इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के डीप ओशन मिशन (DOM) के तहत लॉन्च किया गया है।
 - ⊕ डीप ओशन मिशन केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है। इसका उद्देश्य डीप ओशन सर्वे और एक्सप्लोरेशन; डीप ओशन माइनिंग जैसी ब्लू इकोनॉमी पहलों का समर्थन करना है।
- ▶ उद्देश्य: 'मत्स्य 6000' नामक जलयान से तीन व्यक्तियों को समुद्र में 6000 मीटर की गहराई तक भेजना। ये गहरे समुद्र में खनिज जैसे संसाधनों की खोज करेंगे।
- ▶ कार्यान्वयन अवधि: 5 वर्ष (2020-2021 से 2025-2026)।



प्रति-चक्रवात (Anticyclone)

विशेषज्ञों का मानना है कि समुद्र के ऊपर प्रति-चक्रवाती तूफान की मौजूदगी मुंबई में तापमान में वृद्धि का कारण बन रही है।

प्रति-चक्रवात क्या है?

- ▶ प्रति-चक्रवात की प्रकृति तथा विशेषताएं चक्रवात से पूर्णतः विपरीत होती हैं। प्रतिचक्रवात के केंद्रीय भाग में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं (अपसारी हवा)। इसकी वजह से उच्च दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है।
- ▶ विशेषताएं:
 - ⊕ चक्रवातों की तुलना में इसमें निर्धारित दूरी पर दबाव में कम बदलाव देखा जाता है। इससे हवा का वेग कम होता है, जिससे कई दिनों या हफ्तों तक स्थिर और शांत स्थितियां बनती हैं।
 - ⊕ जैसे-जैसे हवा नीचे उतरती है, यह गर्म होती जाती है, जिससे गर्म और शुष्क मौसम बनता है।
 - ◆ धीरे-धीरे विकसित होने वाला मध्य-क्षोभमंडलीय प्रति-चक्रवाती तूफान भारत में हीटवेव का मुख्य घटक है।
 - ◆ पवन की दिशा:
 - » उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त (घड़ी की सुइयों की दिशा में); तथा
 - » दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त (घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में)।



फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज (बेलिका अंटार्कटिका)

अंटार्कटिका की एकमात्र ज्ञात देशी कीट प्रजाति फ्लाइटलेस अंटार्कटिक मिज (बेलिका अंटार्कटिका) हाल ही में सुर्खियों में थी।

- ▶ इसे चरम मौसम की स्थिति में जीवित रहने की क्षमता के कारण एक एक्सट्रीमोफाइल कीट (Extremophile Insect) के रूप में भी जाना जाता है।
- ▶ इस कीट द्वारा दो साल के जीवन चक्र के दौरान अपनाई गई 2-चरण की उत्तरजीविता रणनीतियां:
 - ▶ किड्सनेस (निष्क्रियता) (एक वर्ष में): यह एक त्वरित अनुकूलन प्रक्रिया है, जिसमें अचानक तापमान गिरने पर कीट तुरंत निष्क्रिय हो जाता है।
 - ▶ ऑब्लिगेट डायपॉज (दूसरे वर्ष में): ऊर्जा संचय करके एक निर्धारित अवधि तक निष्क्रिय अवस्था रहती है। अन्य प्रकार की निष्क्रियताएं:
 - ▶ हाइबरनेशन: इसके तहत कम चयापचय के साथ लंबे समय तक जीव (जैसे- भालू, जमीनी गिलहरियां आदि) सर्दियों में निष्क्रिय रहते हैं।
 - ▶ एस्टीवेशन: गर्मी/सूखे से बचने के लिए कुछ जीव (जैसे- लंगफिश, घोघे आदि) ग्रीष्मकाल में विश्राम की अवस्था में रहते हैं।
 - ▶ ब्रूमेशन: सरीसृप (जैसे- सांप, कछुए आदि) जीव ठंड की वजह से निष्क्रिय रहते हैं।



‘उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ‘उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल लॉन्च किया।

‘उद्यमिता के लिए AI’ माइक्रो-लर्निंग मॉड्यूल के बारे में

- ▶ इसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और इंटेल इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया है।
- ▶ उद्देश्य: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अवधारणाओं को सरल बनाना और पूरे भारत में युवा नवोन्मेषकों में उद्यमशीलता की सोच को प्रोत्साहित करना।
- ▶ लक्ष्य: 2025 तक 1 लाख युवाओं को प्रौद्योगिकी-संचालित अर्थव्यवस्था में कामयाब होने के लिए आवश्यक कौशल से प्रशिक्षित करके उन्हें सशक्त बनाना।



ट्रेलगाई AI

ट्रेलगाई AI ने ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में अवैध शिकार को कम करने में सहायता की है।

ट्रेलगाई AI के बारे में

- ▶ यह एक एंड-टू-एंड, कैमरा-आधारित अलर्ट प्रणाली है। इसे वन्यजीव संरक्षण को बढ़ाने और दूरदराज के क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है।
- ▶ लाभ:
 - ⊕ लक्षित ऑब्जेक्ट्स का स्वायत्त तरीके से पता लगाना। उदाहरण के लिए- शिकारियों, वन्यजीवों का कृषि भूमि में प्रवेश आदि।
 - ⊕ रियल टाइम अलर्ट ट्रांसमिशन: यह कार्य GSM, लंबी दूरी के रेडियो या उपग्रह के माध्यम से किया जाता है। इससे तीव्र प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने में मदद मिली है।
 - ⊕ इसका छोटा आकार इसे हानि पहुंचाने और चोरी होने से रोकता है।
- ▶ सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में
 - ⊕ इसे 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया था।
 - ⊕ प्रमुख नदियां: सालंदी, काहेरी और देव।

सुर्खियों में रहे स्थल



यूक्रेन (राजधानी: कीव)

यूनाइटेड किंगडम ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर वह यूक्रेन में शांति सेना भेजेगा।

यूक्रेन के बारे में

- ▶ भौगोलिक अवस्थिति:
 - ⊕ अवस्थिति: यह पूर्वी यूरोप में स्थित है। यूक्रेन रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय देश है।
 - ⊕ सीमावर्ती देश: बेलारूस, हंगरी, मोल्दोवा, पोलैंड, रोमानिया, रूस और स्लोवाकिया।
 - ⊕ सीमावर्ती जल निकाय: काला सागर और आज़ोव सागर।
- ▶ भौगोलिक विशेषताएं
 - ⊕ पर्वत श्रृंखलाएं: कार्पेथियन, क्रीमियन, आदि।
 - ⊕ नदियां: नीपर (यूक्रेन की सबसे लंबी नदी), डेन्यूब, नीस्टर आदि।
- ▶ अर्थव्यवस्था:
 - ⊕ इसे “यूरोप का ब्रेडबास्केट” के रूप में जाना जाता है। यह दुनिया के सबसे बड़े अनाज निर्यातकों में से एक है।
 - ⊕ विश्व में सूरजमुखी के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। सूरजमुखी यूक्रेन का राष्ट्रीय पुष्प है।
- ▶ अन्य:
 - ⊕ प्रमुख आपदाएं: 1986 की चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना।
 - ⊕ विश्व धरोहर स्थल: कीव में सेंट-सोफिया कैथेड्रल।
 - ⊕ टैग: सेंट-सोफिया कैथेड्रल, यूरोप का ब्रेडबास्केट, नीपर, कार्पेथियन, यूरोप आदि।



अहमदाबाद



बेंगलूरु



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची